अल्प जानकारी के माहौल में स्कूल चयन

प्रचलित अवधारणा एवं चार राज्यों में इसकी ज़मीनी हक़ीक़त का अध्ययन

रिसर्च ग्रुप | अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन

शिक्षा के क्षेत्र में ज़मीनी अध्ययन

स्कूली शिक्षा के बाज़ार-आधारित नज़रिए में स्कूल चयन अथवा स्कूल च्वॉइस का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। मोटेतौर पर स्कूल चयन का मतलब होता है– स्कूल व्यवस्था को सुधारने के प्राथमिक ज़रिए के तौर पर सार्वजनिक पैसे से चलने वाले स्कूलों के विकल्पों की व्यवस्था करना व उनको आगे बढ़ाना। अध्ययनों ने दिखाया है कि इस तरह के बाज़ार-आधारित उपाय अमरीका जैसे देश में कारगर नहीं हुए हैं (राविच, 2010, 2013) और जिन स्कूल प्रणालियों में ग़ैर बराबरियाँ देखने को मिलती हैं वहाँ तो और भी नहीं (ओईसीडी, 2016: 123-127)।

स्कूल चयन के विचार में यह धारणा निहित है कि निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के व्यावहारिक और बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन निजी स्कूलों से होने वाले लाभ का जो दावा किया जाता रहा है वह पीसा (PISA) की हाल की रिपोर्ट में ग़लत साबित हो चुका है और इसका ज़िक्र दुनिया भर की तमाम स्कूल प्रणालियों में सीखने की स्थिति के बारे में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी है (ओईसीडी, 2016: 126; विश्व बैंक, 2018: 176)। इन रिपोर्टों से जो आनुभविक निष्कर्ष सामने निकलकर आते हैं वे शिक्षा के बुनियादी दार्शनिक विचारों से भी मेल खाते हैं, ख़ासतौर से इस विचार से कि शिक्षा कोई बिकने वाली चीज़ नहीं है (विंच, 1996)।

भारत में 1990 के दशक से स्कूली व्यवस्था का ख़ासा विस्तार हुआ है। पिछले 15 सालों में कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूलों के दाख़िलों में तेज़ बढ़ोतरी हुई है जबकि सार्वजनिक (सरकारी) स्कूलों में भी पहुँच बढ़ी है, ख़ासकर वंचित तबकों के बच्चों की। स्कूलों के इस तरह के बहुत ही तेज़ और अकसर अनियमित विस्तार के चलते अभिभावकों के सामने चयन के ज़्यादा विकल्प ज़रूर हैं, लेकिन यह एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ स्कूलों और स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही दुनिया भर में इससे जुड़े तमाम अनुभवों को नज़रअन्दाज़ करते हुए भारत में स्कूली शिक्षा को लेकर होने वाली बहसों में स्कूल चयन और गरीबों के लिए कम फ़ीस वसूलने वाले निजी स्कूल जैसे बाज़ार-आधारित उपायों को निर्णायक भूमिका में पेश किया जाता है।

इन तमाम मुद्‌दों ने हमें तीन स्तरीय ज़मीनी अध्ययन के लिए प्रेरित किया। ख़ासतौर से ग्रामीण भारत के सन्दर्भ में अभिभावक स्कूलों का चयन कैसे करते हैं, इसे थोड़ा गहराई से समझने के लिए चार राज्यों के 10 ज़िलों में 121 सरकारी व कम फ़ीस वाले निजी स्कूलों का अध्ययन किया गया जिसमें 1210 परिवार शामिल थे।

इस अध्ययन से यह पता चलता है कि स्कूल चयन एक जटिल प्रक्रिया है। अभिभावक द्वारा स्कूल के चुनाव को तमाम किस्म के कारक प्रभावित करते हैं। सीखने-सिखाने को लेकर उनके विचार, अनुशासन व स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा जैसे तत्त्व सभी अभिभावकों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों

को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं वे ख़र्च को महत्त्वपूर्ण मानते हैं, वहीं जो अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं वे 'अंग्रेज़ी माध्यम' को महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अभिभावकों द्वारा कम फ़ीस लेने वाले स्कूलों का चुनाव अकसर सटीक जानकारी पर आधारित नहीं होता। बहुत सारे अभिभावक यह मानते हैं कि वे अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में भेज रहे हैं, जबकि हक़ीक़त में ऐसे ज़्यादातर स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम नहीं होते। इसी तरह, अकसर शिक्षकों की योग्यता को महत्त्वपूर्ण मानने वाले अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज बैठते हैं जहाँ शिक्षक अल्प प्रशिक्षित होते हैं।

शैक्षणिक दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण लेकिन लोगों की आकांक्षाओं से जुड़े कारकों पर अभिभावकों के ज़ोर देने और उससे जुड़ी सूचनाओं की कमी के पीछे कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली मार्केटिंग की भूमिका दिखाई देती है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि स्कूलों द्वारा अपनी मार्केटिंग के लिए किए जाने वाले प्रयास और अभिभावकों की सांस्कृतिक आकांक्षाएँ एक-दूसरे को मजबूत करती हैं और एक ऐसी परिस्थिति बनाती हैं जिसमें वास्तविक शैक्षणिक परिणामों को कम महत्त्व दिया जा सकता है या उससे भी बुरा यह कि उनको बिल्कुल दरकिनार किया जा सकता है।

इस अध्ययन से यह पता चलता है कि स्कूलों द्वारा अपनी मार्केटिंग के लिए किए जाने वाले प्रयास और अभिभावकों की सांस्कृतिक आकाँक्षाएँ एक-दूसरे को मजबूत करती हैं और एक ऐसी परिस्थिति बनाती हैं जिसमें वास्तविक शैक्षणिक परिणामों को कम महत्त्व दिया जा सकता है या उससे भी बुरा यह कि उनको बिल्कुल दरकिनार किया जा सकता है।

मोटे तौर पर यह अध्ययन दुनिया भर में हुए दूसरे अध्ययनों को सही साबित करता है जिनमें यह दिखाया गया है कि स्कूल व्यवस्था में सुधार के लिए बाज़ार-आधारित तरीक़ों को बग़ैर किसी आलोचनात्मक समझ के सरलीकृत ढंग से स्वीकार कर लेना न सिर्फ़ अपर्याप्त है, बल्कि इसका स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।

1. प्रस्तावना

भारत में प्रारम्भिक स्कूल व्यवस्था का 1990 के दशक से ख़ासा विस्तार हुआ है। यह विस्तार सरकारी स्कूल व्यवस्था की पहुँच में हुई बढ़ोतरी और उसके समानान्तर निजी स्कूलों की संख्या में हुई बढ़ोतरी में देखने को मिलता है। इसके बावजूद सरकारी स्कूल व्यवस्था अभी भी स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख ज़रिया है, ख़ासतौर से ऐतिहासिक रूप से हाशियाकृत जनसमूहों के लिए और उन इलाक़ों के लिए जहाँ अब तक स्कूली शिक्षा की पहुँच नहीं थी। निजी स्कूल व्यवस्था में होने वाली ज़्यादातर बढ़ोतरी के पीछे कम फ़ीस लेने वाले स्कूलों की संख्या में हुई बढ़ोतरी है[1]— जो पहले शहरों और उनके आसपास के इलाक़ों में और उसके बाद ग्रामीण इलाक़ों में भी कई जगहों पर हुई है। इस तेज़ और अकसर अपर्याप्त नियन्त्रण में होने वाले स्कूल विस्तार के चलते अभिभावकों के सामने चयन के विकल्प तो बढ़े हैं, लेकिन एक ऐसे माहौल में जहाँ सूचनाओं का अभाव है।

यही वह सन्दर्भ है जिसमें शैक्षणिक नीति सम्बन्धी बहसों में स्कूल चयन को लेकर तमाम विरोधी नज़रिए व तर्क सामने आए हैं। इनमें से एक किस्म के तर्कों में स्कूली शिक्षा को लेकर बाज़ार-आधारित नज़रिए पर ज़ोर डाला जाता है

1. कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूलों को 'बजट निजी स्कूल' या 'सस्ते निजी स्कूल' भी कहते हैं। इस अध्ययन में निजी स्कूलों में ऐसे स्कूल भी शामिल हैं।

जिसमें अलग-अलग स्कूलों के बीच अभिभावकों द्वारा चयन से स्कूलों के बीच आगे बढ़ने की होड़ सुनिश्चित होगी जिससे अप्रभावी स्कूल ख़त्म हो जाएँगे। इस विमर्श में अप्रभावी स्कूलों का निहितार्थ असल में सरकारी स्कूल ही हैं (मिसाल के लिए, शाह व मिरांडा, 2013)। लेकिन कई अन्य लोगों ने इस विचार की आलोचना की है कि अभिभावकों द्वारा चयन से स्कूली शिक्षा के परिणामों में उत्कृष्टता आएगी। इनके अध्ययनों में यह कहा गया है कि अभिभावकों के स्कूल चयन को लेकर यह जो सरलीकृत समझ है उसमें इस बात को नज़रअन्दाज़ कर दिया जाता है कि वंचित समुदायों के सन्दर्भ में चयन की प्रक्रिया किस तरह काम करती है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात जो इनमें दरकिनार की जाती है वह यह है कि पहले से ही स्तरीकृत स्कूली व्यवस्था के सन्दर्भ में इस तरह के प्रयास समतामूलक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में नकारात्मकता लाते हुए दिखते हैं (हरमा, 2011; श्रीवास्तव, 2007)। इसके अलावा इस मामले में सबसे भरोसेमन्द साक्ष्य बताते हैं कि जहाँ तक नतीजों का सवाल है– सरकारी स्कूलों और कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूलों में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है (चुडगर व क्विन, 2012; करोपाडी, 2014; मुरलीधरन व सुंदररामन, 2015)।

इस सन्दर्भ में अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन का रिसर्च ग्रुप (शोध समूह) कुछ अध्ययन कर रहा है जो सरकारी व निजी स्कूलों के बारे में जारी हालिया बहसों के लिए प्रासंगिक हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि अभिभावक स्कूलों का चयन किस तरह से करते हैं, स्कूल के चयन में कौन-से कारक महत्त्वपूर्ण होते हैं, और इनका स्कूलों की वास्तविकता से क्या सम्बन्ध है।

यह करने के लिए हमने तीन चरणों का ज़मीनी अध्ययन किया। पहले हमने भारत के चार राज्यों में 10 ज़िलों के 25 अलग-अलग ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले 1210 परिवारों का अध्ययन किया ताकि स्कूल चयन के कारकों को और अभिभावक स्कूलों का मूल्यांकन किस तरह करते हैं, यह समझा जा सके। दूसरे चरण में हमने इन्हीं जगहों में स्थित 121 सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षक-शिक्षिकाओं का सर्वेक्षण किया। इसमें हमने स्कूलों की प्रक्रियाओं का अवलोकन किया ताकि स्कूलों के बारे में अभिभावकों के नज़रिए और स्कूलों में शिक्षा की हक़ीक़त के बीच कितना मेल है, इसका पता लगाया जा सके। इन आँकड़ों के विश्लेषण से हमें स्कूल चयन के स्वरूप और निजी स्कूलों की प्रक्रियाओं से जुड़ी कुछ दिलचस्प प्रवृत्तियाँ देखने को मिलीं। अन्तिम चरण में हमने विस्तृत गुणात्मक साक्षात्कारों का इस्तेमाल किया और कुछ विशिष्ट मसलों का परीक्षण किया। इन साक्षात्कारों के लिए अलग-अलग आय-समूहों में बच्चों को निजी व सरकारी स्कूल भेजने वाले अभिभावकों के नमूने लिए गए। साथ ही विभिन्न जगहों पर पहले दो चरणों में जिन निजी स्कूलों का अध्ययन किया गया था, उनमें से उन प्रधानाचार्यों व शिक्षकों का नमूना भी लिया गया जिनसे यह साक्षात्कार किए गए।

> इस अध्ययन के लिए उन जगहों का सोद्देश्यपूर्ण चयन किया गया जिनके आसपास कई सरकारी व निजी स्कूल हों। हालाँकि यह सर्वेक्षण उन ज़िलों, राज्यों या पूरे देश का प्रतिनिधि नहीं है लेकिन इससे इसकी झलक तो मिलती ही है कि ग्रामीण अंचलों में अभिभावकों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल की गुणवत्ता को किस तरह से देखता है।

इस अध्ययन के लिए उन जगहों का सोद्‌देश्यपूर्ण चयन किया गया जिनके आसपास कई सरकारी व निजी स्कूल हों। हालाँकि यह सर्वेक्षण उन ज़िलों, राज्यों या पूरे देश का प्रतिनिधि नहीं है लेकिन इससे इसकी झलक तो

मिलती ही है कि ग्रामीण अंचलों में अभिभावकों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल की गुणवत्ता को किस तरह से देखता है। साथ ही यह भी कि वह स्कूल चयन के बारे में क्या सोचता है और स्कूलों का चयन वह किस तरह से करता है।

इस अध्ययन से यह पता चलता है कि स्कूल चयन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिभावकों के लिए अलग-अलग कारक महत्त्वपूर्ण होते हैं। सीखने-सिखाने की गुणवत्ता अमूमन हर प्रकार के अभिभावकों के लिए महत्त्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा कई अभिभावक अनुशासन और सुरक्षा को भी स्कूल चयन में महत्त्वपूर्ण कारक मानते हैं। जिन अभिभावकों ने निजी स्कूलों का चुनाव किया उनके लिए अंग्रेज़ी माध्यम ज़्यादा महत्त्वपूर्ण था जबकि सरकारी स्कूलों का चयन करने वाले अभिभावकों के लिए ख़र्च ज़्यादा महत्त्वपूर्ण कारक था।

सर्वे के नतीजों के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि कम फ़ीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के मामले में स्कूल के बारे में अभिभावकों के नज़रिए और स्कूल की हक़ीक़त के बीच बड़ा अन्तर था। हालाँकि, अभिभावक यह बताते थे कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में जा रहे हैं लेकिन असलियत में ऐसे ज़्यादातर बच्चे अंग्रेज़ी में पढ़ाई नहीं कर रहे थे।

जहाँ तक आस-पड़ोस स्थित निजी व सरकारी स्कूल के बीच चुनाव का मामला है, इस अध्ययन में यह पाया गया कि अभिभावकों का चयन किसी एक तरह के स्कूल के पक्ष में नहीं है, चाहे वह निजी हो या सरकारी। पच्चीस गाँवों में यह देखा गया कि अभिभावकों द्वारा आस-पड़ोस के सरकारी स्कूल को पसन्द करने की उतनी ही सम्भावना थी जितनी कि निजी स्कूल को पसन्द करने की।

सर्वे के नतीजों के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि कम फ़ीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के मामले में स्कूल के बारे में अभिभावकों के नज़रिए और स्कूल की हक़ीक़त के बीच बड़ा अन्तर था। हालाँकि, अभिभावक यह बताते थे कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में जा रहे हैं लेकिन असलियत में ऐसे ज़्यादातर बच्चे अंग्रेज़ी में पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इसी तरह, हालाँकि अभिभावक यह बताते थे कि स्कूल का चयन करते समय वे शिक्षकों की योग्यता का ध्यान रखते थे लेकिन आमतौर पर वे ऐसे स्कूलों का चयन करते थे जहाँ के शिक्षक बाक़ी स्कूलों की तुलना में कम योग्यता रखते थे।

गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़े स्कूलों के चयन की प्रक्रिया की जटिलता को पुष्ट करते हैं। तमाम ऐसी बातों के अलावा, अभिभावकों द्वारा शुरुआती चुनाव पर पुनर्विचार कर उसे बदलने, और एक ही श्रेणी के स्कूलों के बीच (यानी एक निजी स्कूल से दूसरे में) व अलग-अलग श्रेणी के स्कूलों (यानी निजी स्कूल से सरकारी स्कूल) के बीच अपने चयन में बदलाव लाना इन जटिलताओं को और भी उजागर करता है। यह भी देखने में आया कि कुछ अभिभावक अपने द्वारा चुने गए निजी स्कूल के बारे में राय बदलने के बावजूद सांस्कृतिक पूँजी जुटाने की इच्छा से उसी में बने रहते हैं।

इन गुणात्मक साक्षात्कारों से स्कूलों के प्रति अभिभावकों के नज़रिए और स्कूलों की वास्तविकता के बीच के अन्तर के सम्भावित कारणों का भी पता चलता है। एक तरफ़ यह

2. इस अध्ययन में शिक्षा की गुणवत्ता से आशय एक ऐसी निर्देशात्मक व बहुआयामी अवधारणा से है जिसमें शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी तत्त्व शामिल हैं, जैसे कि उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षा पद्धति, मूल्यांकन, और स्कूली प्रक्रियाएँ (देखें, धनकर, 2002; विंच, 1996)। इन्हीं मानदण्डों के सन्दर्भ में जब गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों की राय इन तत्त्वों से मेल नहीं खाती तो हम उनको ग़ैर-शैक्षणिक कहते हैं।

देखने को मिलता है कि निजी स्कूलों को लेकर अभिभावकों की आकांक्षा पर बच्चों के थोड़ा-बहुत अंग्रेज़ी और उचित ड्रेस व आचरण सीखने जैसे आकांक्षामूलक मापदण्डों का भारी प्रभाव होता है। इन मापदण्डों के बारे में माना जाता है कि इनसे सरकारी स्कूल जाने वाले ग़रीब परिवारों से सामाजिक दूरी बनेगी। दूसरी तरफ़ कम फ़ीस वसूलने वाले निजी स्कूल आस-पड़ोस के गाँवों से दाख़िले करवाने के लिए बड़े व्यवस्थित तरीक़े से अपनी मार्केटिंग और छवि बनाने का काम करते हैं। इन मार्केटिंग गतिविधियों में उन्हीं मापदण्डों को उभारा जाता है जिनकी आकांक्षा अभिभावक करते हैं। इसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक पूँजी जमा करने की अभिभावकों की आकांक्षा और निजी स्कूलों की बाज़ार-केन्द्रित परिपाटियों, दोनों से ही साफ़ तौर पर गुणवत्ता के ग़ैर शैक्षणिक मापदण्डों की पुष्टि होती है।

2. पद्धति

यह अध्ययन चार राज्यों (छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान व उत्तराखण्ड) के दस जिलों में किया गया। यह वे जगहें हैं जहाँ अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन की सक्रिय उपस्थिति है।[3] हर जिले से एक ब्लॉक का चयन किया गया और ज़्यादातर ब्लॉक वे हैं जिनमें उस जिले का मुख्यालय भी है। हर ब्लॉक में अध्ययन के लिए एक सीमित भौगोलिक दायरे के कुछ गाँवों को (आम तौर पर आस-पड़ोस के 2-3 गाँवों का समूह) पूर्व निर्धारित मानदण्डों के आधार पर चुना गया।[4] सर्वे में कुल 1210 परिवार और 121

तालिका-1 : अध्ययन में शामिल परिवार, बच्चे व स्कूल (जिलेवार)

जिले*	बलोदा बाज़ार	धमतरी	जाँजगीर-चाँपा	रायगढ़	रायपुर	यादगीर	टोंक	देहरादून	उधम सिंह नगर	बागेश्वर	कुल
गाँव	3	3	3	2	2	2	2	4	2	2	25
परिवार	120	120	121	120	120	121	120	120	128	120	1209
बच्चे	248	226	250	219	274	255	214	289	272	217	2464
सरकारी स्कूल	6	8	9	6	5	5	5	5	6	6	61
निजी स्कूल	2	5	9	4	3	7	12	6	4	8	60
सरकारी स्कूलों के शिक्षक	34	41	36	35	34	32	52	19	35	25	343
निजी स्कूलों के शिक्षक	28	53	74	50	55	57	147	63	29	116	672

* सभी जिलों में अध्ययन के लिए निश्चित किए गए इलाक़े ग्रामीण थे

3. अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन इन इलाक़ों में मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए आमतौर पर ऐसी प्रक्रियाओं व मंचों के माध्यम से काम करता है जिनमें शिक्षक स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं। इन इलाक़ों में स्कूलों या परिवारों के साथ कोई ख़ास प्रत्यक्ष काम नहीं किया जाता।

4. इन मापदण्डों का उपयोग किया गया : (1) सरकारी व निजी स्कूलों का एक सन्तुलित मिश्रण जिसमें अमूमन 10 स्कूल थे, ताकि अध्ययन में सरकारी व निजी स्कूलों के विकल्पों में विविधता बनी रहे; (2) अध्ययन के लिए प्रासंगिक ग्रामीण समुदाय की आवागमन के साधनों तक पहुँच, ताकि ऐसे विशिष्ट दूर-दराज़ के गाँव नमूने में न शामिल हों जहाँ स्कूलों के ज़्यादा विकल्प न हों; (3) अमूमन 1500-1800 परिवारों की आबादी, ताकि हर इलाक़े में उपलब्ध संसाधनों और 120 परिवारों के नमूने के लक्ष्य के बीच एक सन्तुलन बन सके।

सरकारी व निजी स्कूल शामिल किए गए (देखें तालिका 1)।

अध्ययन के पहले भाग के लिए 'परिवार सर्वे टूल' (Family Survey Tool) का इस्तेमाल किया गया। यह सर्वे टूल इस तरह से बनाया गया था कि शोध के मुख्य सवालों के बारे में परिवार जो सोच रहे थे उसकी बारीक़ समझ इसके ज़रिए बनाई जा सके। स्थानीय स्कूलों और उनके चयन के बारे में लोगों की राय को लेकर महत्त्वपूर्ण सवाल पूछे गए ताकि अभिभावकों की बृहत प्रतिक्रियाओं के साथ ही उनकी प्राथमिक प्रतिक्रियाएँ भी जानी जा सकें। मिसाल के लिए, अपने बच्चों के लिए आस-पड़ोस के पसन्दीदा स्कूल के बारे में सवाल करते समय अभिभावकों से कहा गया कि, वे अपने चयन के जो कारण हैं, उनमें से सबसे ज़रूरी तीन कारण और एक मुख्य कारण बताएँ। इस तरह के सवालों के जवाबों का कोई तयशुदा ख़ाक़ा नहीं था और सर्वे टीम ने सभी जवाबों को बाद में 15 श्रेणियों में बाँट दिया। मिसाल के लिए, जब अभिभावकों से उनके चयन का कारण पूछा जाता था तो वे कह सकते थे कि स्कूल चुनने की उनकी वजह है 'शिक्षक'। अब सर्वे टीम को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया गया था कि वह और पूछताछ करके यह पता लगाएँ कि 'शिक्षक' से अभिभावकों का क्या मतलब था– यानी वे शिक्षकों की योग्यता की बात कर रहे थे या सीखने-सिखाने की प्रक्रिया या किसी और ही चीज़, जैसे कि अनुशासन, आदि की बात कर रहे थे। इस तरह की पड़ताल के बाद जो जवाब मिलते थे उनकी कोडिंग और विश्लेषण किया जाता था।

परिवार सर्वे टूल के आँकड़ों के विश्लेषण के बाद स्कूल सूचना टूल का निर्माण कर उसको इस्तेमाल में लाया गया। इसमें आँकड़ों को जुटाने के मापदण्ड परिवार सम्बन्धी आँकड़ों के विश्लेषण से निकले प्राथमिक नतीजों पर आधारित थे। इसका उद्देश्य था अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं से मिले सहायक अतिरिक्त आँकड़ों (Secondary Data) से तुलना करते हुए स्कूलों के बारे में मिले प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण करना।

मात्रात्मक आँकड़ों के प्राथमिक विश्लेषण से स्कूल चयन के स्वरूप, निजी स्कूलों की प्रक्रियाओं, और अंग्रेज़ी माध्यम जैसे मुद्दों के बारे में दिलचस्प पैटर्न देखने को मिले। इनमें से कुछ पैटर्न की और गहराई से पड़ताल करने के लिए गुणात्मक पड़ताल का हिस्सा भी इसमें जोड़ा गया। मात्रात्मक आँकड़ों का इस्तेमाल कर विभिन्न आय वर्गों के अभिभावकों का एक नमूना निकाला गया जिनमें बच्चों को निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों में भेजने वाले अभिभावक शामिल थे। इसी तरह विभिन्न जगहों पर स्थित निजी स्कूलों से प्रधान पाठकों व शिक्षकों का एक नमूना भी निकाला गया। इन नमूनों में 50 अभिभावक, 12 हेड टीचर और 24 शिक्षक शामिल थे। इनसे आँकड़े इकट्ठा करने के लिए अर्ध-संरचित (Semi-structured) गुणात्मक साक्षात्कार किए गए और विषयवार विश्लेषण पद्धति का इस्तेमाल कर उन आँकड़ों का विश्लेषण किया गया।

3. नतीजे

3.1 स्कूल चयन का जटिल स्वरूप

इस विषय से जुड़े मौजूदा साहित्य में अभिभावकों के चयन को प्रभावित करने वाले जो तमाम कारक दिखाए गए हैं, उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं : आपूर्ति (स्कूलों के उपलब्ध विकल्प), शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा का माध्यम, उनका ख़र्च वहन करने की क्षमता या क़ीमत, ग़ैर शैक्षणिक फ़ायदे, सामाजिक बाधाएँ, और बच्चे का जेंडर (यानी लड़का या लड़की) (स्ट्रयूली, वेनम, वूडहेड, 2011; हिल, सैमसन और दासगुप्ता, 2011; हार्मा, 2010)। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अभिभावकों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता की एक अस्पष्ट श्रेणी रही है जिसका मतलब कई अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि स्कूल में बुनियादी

सुविधाएँ, परीक्षाओं के नतीजे, अनुशासन, और अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत ऊँचा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात भी (हिल, सैमसन और दासगुप्ता, 2011; कौर, 2017; श्रीवास्तव, 2007)। परिवारों के सर्वे में हमने इसकी पड़ताल की विभिन्न प्रकार के खुले सवाल पूछकर जिससे स्कूलों को लेकर अभिभावकों की पसन्द और स्कूल चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हाथ लग सके। अभिभावकों से चयन को लेकर दो अलग-अलग तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल उनके आस-पड़ोस स्थित उनके पसन्दीदा स्कूल से जुड़ा था, यानी 'वह स्कूल विशेष जिसमें वे अपने बच्चे को पढ़ने भेजना पसन्द करेंगे'; और दूसरा सवाल उस स्कूल के बारे में था 'जहाँ वे अपने बच्चे को असल में भेजते हैं'।

3.1.1 अभिभावक अपने आस-पड़ोस के किन स्कूलों को पसन्द करते हैं?

आस-पड़ोस के स्कूलों के बारे में अभिभावकों की पसन्द के विश्लेषण से पता चला कि अभिभावक निजी या सरकारी किसी ख़ास तरह के ही स्कूल को पसन्द कर रहे हों, ऐसा नहीं है। इसके विश्लेषण के लिए हमने ऐसे स्कूलों के विकल्प को हटा दिया जो उनके आस-पड़ोस में नहीं थे और फिर बचे हुए आस-पड़ोस के स्कूलों के प्रति पसन्द का इज़हार करने वाले अभिभावकों का प्रतिशत निकाल लिया। अध्ययन के हर इलाक़े में औसतन 20 प्रतिशत अभिभावक ऐसे थे जिनको अपने बच्चों को आस-पड़ोस के स्कूल में भेजना पसन्द था। इसके अलावा, अध्ययन के सभी 10 इलाक़ों के 25 में से 14 गाँवों में आस-पड़ोस का सबसे पसन्दीदा स्कूल निजी स्कूल था जबकि 11 गाँवों में सरकारी स्कूल सबसे ज़्यादा पसन्द किया गया। दो इलाक़ों में 4 गाँव ऐसे थे जहाँ सबसे ज़्यादा पसन्द किए गए सभी तीन स्कूल निजी स्कूल थे। इनको छोड़कर बाक़ी सभी 21 गाँवों में तीन सबसे पसन्दीदा स्कूल सरकारी स्कूल ही थे। तेरह गाँवों में सबसे ज़्यादा पसन्द के तीन स्कूलों में सरकारी स्कूलों का नाम ज़्यादा था जबकि 12 गाँव ऐसे थे जहाँ तीन सबसे पसन्दीदा स्कूलों में निजी स्कूलों का नाम ज़्यादा आया।

स्कूल चयन की जो वजहें अभिभावकों ने बताई, उनका विश्लेषण करने से पता चला कि इसके पीछे कई कारक काम करते हैं जो हर अभिभावक के लिए अलग-अलग हैं। हमें यह भी पता चला कि कुछ कारक ऐसे भी हैं जो हर तरह के अभिभावकों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं; जबकि कुछ कारक उन अभिभावकों के लिए ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हैं जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं वहीं कुछ कारक उन अभिभावकों के लिए ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं।

तालिका 2 में अपने आस-पड़ोस के स्कूल विशेष के चयन की मुख्य वजहें दिखाई गई हैं। 'सीखने-सिखाने' को लेकर अभिभावकों का नज़रिया स्कूल विशेष के चयन की सबसे ज़रूरी वजह बनकर सामने आया (33 प्रतिशत)। 'अनुशासन' को लेकर उनका नज़रिया (11 प्रतिशत) और स्कूल में 'सुरक्षा' (9 प्रतिशत) जैसी वजहें भी सभी अभिभावकों के लिए महत्त्वपूर्ण थीं।

इन तीन के अलावा स्कूल चयन की जो दूसरी महत्त्वपूर्ण वजहें थीं, उनमें निजी स्कूल व सरकारी स्कूल चुनने वाले अभिभावकों के बीच अन्तर पाया गया। वे अभिभावक जिन्होंने नज़दीक का सरकारी स्कूल चुना उनके लिए 'ख़र्च' निजी स्कूल चुनने वाले अभिभावकों की तुलना में ज़्यादा महत्त्वपूर्ण वजह थी (16 प्रतिशत बनाम 2 प्रतिशत)। दूसरी तरफ़, जिन अभिभावकों ने निजी स्कूल चुना उनके लिए स्कूल का 'अंग्रेज़ी माध्यम' होना सरकारी स्कूल चुनने वाले अभिभावकों की तुलना में कहीं ज़्यादा महत्त्वपूर्ण वजह रही (18 प्रतिशत बनाम 3 प्रतिशत)।

तालिका–2 : आस–पड़ोस के स्कूल के चयन की प्रमुख वजहें (% में)

	सरकारी स्कूल	निजी स्कूल	कुल
बुनियादी ढाँचा	2	3	3
सुविधाएँ	3	1	2
स्कूल की प्रतिष्ठा	5	3	4
सुरक्षा	12	8	9
समावेशी	5	1	3
प्रोत्साहन व सहयोग	3	0	2
ख़र्च	16	2	8
स्कूली शिक्षा का प्रकार	2	2	2
स्कूल प्रशासन	2	4	3
शिक्षकों की योग्यता	10	6	8
सीखना–सिखाना	28	36	33
अनुशासन	8	12	11
अंग्रेज़ी माध्यम	3	18	11
ग़ैर-अंग्रेज़ी माध्यम	0	1	1
अन्य	2	2	2

आँकड़े पूर्णांकित हैं।

उपरोक्त मुख्य वजहों से अलग, आस–पड़ोस का स्कूल विशेष जहाँ अभिभावक अपने बच्चों को भेजना पसन्द करेंगे, उसको पसन्द करने की तीन सबसे बड़ी वजहों के विश्लेषण से तालिका 2 जैसी ही स्थिति देखने को मिली।

3.1.2 अभिभावक असल में कौन–से स्कूल चुनते हैं ?

अब यह जानना भी ज़रूरी होगा कि अभिभावक अपने बच्चों को असल में किन स्कूलों में भेजते हैं और क्यों। कुल मिलाकर, हमारे नमूने में आधे से थोड़े अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं (51 प्रतिशत) जबकि बाक़ी निजी स्कूलों में। बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं उनमें परिवार की सम्पत्ति के आधार पर जो अन्तर आता है, उसका पता इस बात से चलता है कि सबसे कम सम्पत्ति वाले परिवारों से आने वाले 71 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा सम्पत्ति वाले परिवारों से मात्र 17 प्रतिशत बच्चे ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं।

अभिभावक असल में जो स्कूल चुनते हैं उसके चयन के कारण आस–पड़ोस के पसन्दीदा स्कूल के चयन के कारणों से मिलते-जुलते हैं। जिन स्कूलों को अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए असल में चुना है, उनको चुनने के कारणों का अनुपात तालिका 3 में दिखाया गया है। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों के चयन में 'सीखने–सिखाने' के माहौल के बारे में अभिभावकों की राय स्कूल चयन का एक महत्त्वपूर्ण कारण दिखा।

इसी तरह, दोनों ही तरह के स्कूलों के चयन में 'सुरक्षा', 'अनुशासन', और 'शिक्षक योग्यता' जैसे कारण महत्त्वपूर्ण दिखाई दिए। जैसी कि उम्मीद थी, सरकारी स्कूलों का चयन करने वाले अभिभावकों के लिए ख़र्च चयन का कहीं ज़्यादा महत्त्वपूर्ण कारक रहा, जबकि निजी स्कूलों का चयन करने वाले अभिभावकों के लिए 'अंग्रेज़ी माध्यम' ज़्यादा महत्त्वपूर्ण था। अभिभावकों से उनके चयन के कारणों के बारे में और ज़्यादा बातचीत करने पर पता चला कि 'ख़र्च' का कारक पसन्दीदा स्कूल के चयन की तुलना में तब ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब अभिभावक उस स्कूल का चयन करते हैं, जहाँ वे वाकई अपने बच्चों को भेजते हैं।

तालिका–3: अभिभावकों द्वारा सरकारी और निजी स्कूल के चयन के मुख्य कारण (% में)

चयन के मुख्य कारण	सरकारी स्कूल	निजी स्कूल
बुनियादी ढाँचा	2	2
सुविधाएँ	6	1

स्कूल की प्रतिष्ठा	2	4
सुरक्षा	12	12
समावेशी	6	1
प्रोत्साहन व सहयोग	4	1
ख़र्च	26	2
स्कूली शिक्षा का प्रकार	2	1
स्कूल प्रशासन	1	3
शिक्षकों की योग्यता	6	5
सीखने-सिखाने का माहौल	23	37
अनुशासन	6	11
अंग्रेज़ी माध्यम	1	16
ग़ैर-अंग्रेज़ी माध्यम	1	1
अन्य	3	3

गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़ों के विश्लेषण से इसी प्रकार के नतीजे सामने आए। ज़्यादातर ग़रीब परिवार जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे थे, उनके लिए पढ़ाई का ख़र्च उठा पाने की उनकी क्षमता के मद्देनज़र सरकारी स्कूल एक स्वाभाविक चयन था। जैसा कि टोंक जिले में पाँच बच्चों के एक पिता ने बताया, "हम बहुत ही ग़रीब हैं; इसलिए हमने दूसरे स्कूलों के बारे में सोचे बिना सरकारी स्कूल को चुना। ग़रीब बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं।" इनमें से कई परिवारों के लिए सरकारी स्कूल इनके घर के पास थे इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिहाज़ से वे उपयुक्त थे। इसके अलावा, चूँकि उनको रोज़ी-रोटी कमाने के लिए दिन भर घर से बाहर रहना होता था तो इस लिहाज़ से भी सरकारी स्कूल उनके लिए ठीक था।

इसके विपरीत, निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले अभिभावकों से हुई बातचीत में यह बात सामने आई कि निजी स्कूलों के मामले में अंग्रेज़ी माध्यम और अनुशासन अभिभावकों के लिए स्कूल चयन का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण था। रायगढ़ में एक बच्चे के पिता का इस बारे में यह कहना था, "किताबें अंग्रेज़ी में हैं और टीचर अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद मिलती है। स्कूल ऐसी गतिविधियाँ करवाता है जिसमें बच्चे भाग लेते हैं और उनमें अंग्रेज़ी में बोलने की ज़रूरत होती है। अभिभावक-शिक्षक मीटिंग में मैंने देखा है कि टीचर बच्चों से क्लास के बाहर अंग्रेज़ी में बात करते हैं और आपस में भी अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं।" निजी स्कूलों से जो प्रतिक्रियाएँ मिलीं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि अनुशासन, अभिभावकों और निजी स्कूलों दोनों के लिए ज़रूरी था। "एक और चीज़ जिसपर हम ज़ोर देते हैं, वह है अनुशासन। हमारा मानना है कि इससे बच्चों को अच्छे परिणाम लाने में मदद मिलती है। लेकिन हम लड़कियों के ड्रेस और स्कूल के समय के मामले में भी अनुशासन बरतते हैं; हमारा स्कूल अनुशासन के लिए जाना जाता है। हालाँकि कुछ लोग तो शिकायत करते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही सख़्ती बरतते हैं।" (रायपुर के एक निजी स्कूल के निदेशक का कथन)।

3.1.3 अस्पष्ट चयन, बदलती प्राथमिकताएँ

गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़ों के विश्लेषण से सरकारी या निजी दोनों में से किसी भी एक प्रकार के स्कूलों के पक्ष में अभिभावकों की स्पष्ट प्राथमिकता का संकेत नहीं मिलता है। इसकी बजाय यह देखने में आ रहा है कि अभिभावक अपने शुरुआती चयन पर दोबारा विचार करने और इस पुनर्विचार के बाद स्कूल बदलने, दोनों के लिए तैयार हैं। हमें कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिले जहाँ अभिभावक सांस्कृतिक पूँजी की लालसा में कमतर स्कूलों में भी बने रहते हैं।

विभिन्न सम्पत्ति वर्गों से लिए गए परिवारों के नमूने जिनको गुणात्मक साक्षात्कार के लिए चुना गया, निजी स्कूल के चयन के लिए उन्होंने

अलग-अलग कारण बताए। तुलनात्मक रूप से कम आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अनेक ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे थे, उन्होंने फ़ीस में मिली छूट और शिक्षा का अधिकार क़ानून 2009 के 25 प्रतिशत के प्रावधान को कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूल को चुनने का कारण बताया। हालाँकि, 'अच्छी पढ़ाई' स्कूल चयन का घोषित मापदण्ड था लेकिन असल में जो चयन किए गए वे इस मापदण्ड पर उतने खरे नहीं पाए गए। ऐसे ही एक अभिभावक, जो अपने दो बच्चों को कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूल और एक बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते थे, का कहना था, "दोनों ही स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई अच्छी होती है। यही वजह है कि जब मेरे दो बच्चों ने निजी स्कूल में दाख़िला लेने को कहा तो मैंने उनको वहाँ भेज दिया और तीसरे ने कहा कि वो सरकारी स्कूल जाना चाहता है तो मैंने उसे वहाँ भेज दिया।" (तीन बच्चों के पिता, बलोदा बाज़ार)। जब उनसे यह पूछा गया कि बच्चों ने अपनी पसन्द के लिए क्या वजहें बताई थीं तो उनका कहना था, "अब भला बच्चों से कोई इतना कहाँ पूछता है?" इसके अलावा सभी अभिभावक अपनी पसन्द से खुश नहीं थे। एक अभिभावक ऐसे भी थे जिन्होंने स्कूल चुनने का फैसला अपने बड़े भाई पर छोड़ दिया था जो परिवार में इस तरह के फैसले लेते थे और अपने दोनों बच्चों को उसी कम फ़ीस वाले निजी स्कूल में भेज दिया था जहाँ बड़े भाई के बच्चे जाते थे। उनका इस मामले में यह कहना था, "वह (बड़ी बेटी) दूसरी क्लास में है। लेकिन उसे न तो पहाड़े पता हैं और न ही वह ढंग से पढ़ पाती है, जबकि सरकारी स्कूल जाने वाले दूसरे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को अगले साल से सरकारी स्कूल भेजने की सोच रहा हूँ। इस समय ये जिस स्कूल में हैं उसमें तो कुछ सीख नहीं रहे हैं और स्कूल की फ़ीस भी हमारी जेब पर भारी है।" (दो बच्चों के पिता, टोंक)

> तुलनात्मक रूप से कम आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अनेक ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे थे, उन्होंने फ़ीस में मिली छूट और शिक्षा का अधिकार क़ानून 2009 के 25 प्रतिशत के प्रावधान को कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूल को चुनने का कारण बताया।

इसी तरह, अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने वाले तुलनात्मक रूप से समृद्ध परिवार उन स्कूलों की पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं दिख रहे थे जहाँ उन्होंने अपने बच्चों का दाख़िला करवाया था। उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें अपने बच्चों को एक निजी स्कूल से निकालकर आस-पड़ोस या दूरदराज़ के दूसरे स्कूल में दाख़िला कराना पड़ा क्योंकि पहले स्कूल से उनकी अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुईं। कुछ दूसरे अभिभावकों ने निजी स्कूल से असन्तुष्ट होने के बावजूद अपने बच्चों को उसी स्कूल में रखा क्योंकि ये स्कूल सम्भवतः सांस्कृतिक पूँजी की उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे थे। मिसाल के लिए, अपने तीन बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले एक अभिभावक का कहना था, "हमने अपने बच्चों के लिए यह स्कूल चुना ताकि वे अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों सीख और बोल सकें। दाख़िले के समय प्रिंसिपल ने बताया था कि यह अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल है और यहाँ पढ़ाई-लिखाई ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही होती है। हमने सोचा कि यहाँ बच्चे अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों बोलना सीख जाएँगे जो गाँव में रहकर सीखना सम्भव नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी तो छोड़िए, आप भरोसा नहीं करेंगे कि चौथी में पढ़ रहा हमारा एक बच्चा तो हिन्दी भी नहीं पढ़ पाता। हमने (यह और दूसरे अभिभावक) स्कूल में सीखने-सिखाने के इस स्तर को लेकर शिक्षकों से कई बार शिकायत की है।" (तीन बच्चों के पिता, धमतरी)। लेकिन जब यह पूछा गया कि ऐसी स्थिति में क्या अपने बच्चे को

पास ही स्थित सरकारी स्कूल में भेजना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, तब अभिभावक ने रहन-सहन के ढंग, अंग्रेज़ी बोलने आदि जैसी बातों का हवाला दिया।

3.2 अभिभावकों की राय और स्कूलों की हक़ीक़त

स्कूल की दो ख़ास विशेषताओं-शिक्षा का माध्यम और शिक्षक योग्यता-के बारे में अभिभावकों की जो राय थी हमने उसकी तुलना इन स्कूलों में ये विशेषताएँ वास्तव में जिस तरह से अभिव्यक्त होती थीं, उससे की। स्कूलों की ये विशेषताएँ एक स्वतन्त्र स्कूल सूचना टूल से इकट्ठी की गईं जिसमें दोनों शामिल थे– स्कूलों के मुख्य व्यक्तियों से बातचीत और स्कूल की विशिष्ट प्रक्रियाओं पर केन्द्रित स्कूल अवलोकन। हमने यह पाया कि इन चुनी हुई विशेषताओं के मामले में अभिभावकों की राय स्कूल की वास्तविकता से नहीं मिलती थी। हम यहाँ इन दोनों विशेषताओं के लिए जो नतीजे निकले, उन्हें दर्शा रहे हैं।

3.2.1 शिक्षा का माध्यम

निश्चित रूप से अंग्रेज़ी माध्यम एक महत्त्वपूर्ण व मूल्यवान विशेषता के रूप में उभरा, ख़ासकर उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि अभिभावकों द्वारा स्कूल के अंग्रेज़ी माध्यम होने की जानकारी, स्कूल द्वारा आधिकारिक तौर पर अंग्रेज़ी माध्यम होने की घोषणा और स्कूल में असल में जिस माध्यम का इस्तेमाल होता है इन दोनों में बड़ा अन्तर है। निजी स्कूल जाने वाले बच्चों में से 39 प्रतिशत के बारे में उनके अभिभावकों ने यह जानकारी दी कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में जाते हैं। लेकिन असल में महज़ 22 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ अंग्रेज़ी आधिकारिक तौर पर (यानी जैसा कि स्कूल के अधिकारियों ने बताया) शिक्षा का माध्यम है। और स्कूलों के अवलोकन से पता चला कि ऐसे स्कूल जहाँ अंग्रेज़ी वाकई शिक्षा का माध्यम है उनमें महज़ 10 प्रतिशत बच्चे ही जाते हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा कि तालिका 4 में दिखता है, महज़ 25 प्रतिशत मामलों में ही अभिभावकों की यह राय कि उनके बच्चे का स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम है, स्कूल की वास्तविकता से मेल खाती है। आधे से भी ज़्यादा बच्चे (57 प्रतिशत) जो कहने को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में जाते हैं, वे असल में हिन्दी या कन्नड़ जैसी किसी प्रधान क्षेत्रीय भाषा के माध्यम वाले स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ किताबें अंग्रेज़ी में होती हैं लेकिन शिक्षक उनको पढ़ाते समय वहाँ की प्रधान क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करते हैं (इनको तालिका 4 में 'मिश्रित' की श्रेणी में रखा गया है)।

तालिका–4 : जिन बच्चों के अभिभावक मानते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्कूल का आधिकारिक दावा और वास्तव में इस्तेमाल होने वाला शिक्षा का माध्यम (% में)

शिक्षा का माध्यम	शिक्षा का आधिकारिक माध्यम	शिक्षा का वास्तविक माध्यम
हिन्दी	43	52
कन्नड़	5	5
अंग्रेज़ी	52	25
मिश्रित	0	18

यहाँ तक कि जब हमने 'सिर्फ़' उन अभिभावकों के जवाब लिए जिन्होंने यह कहा था कि अंग्रेज़ी माध्यम, स्कूल चुनने के सबसे बड़े तीन कारणों में से एक था (ऐसे अभिभावकों की संख्या बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले कुल अभिभावकों का 25 प्रतिशत थी), तब भी उनकी राय और वास्तविकता के बीच ऐसा ही अन्तर देखने को मिला। स्कूलों के अवलोकन से पता चला कि ऐसे अभिभावकों के बच्चों का महज़ एक-चौथाई ही ऐसे स्कूलों में जाता था

जहाँ अंग्रेज़ी वास्तव में शिक्षा का माध्यम थी।

इस अन्तर के बारे में और जानकारी गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़ों से मिल सकती है। अभिभावकों को इस बात की साफ़ समझ नहीं थी कि अंग्रेज़ी माध्यम के मायने क्या होते हैं या स्कूलों के चयन के मामले में यह महत्त्वपूर्ण क्यों है? कुछ अभिभावकों के मामले में ऐसा दिखा कि वे महज़ सरकारी स्कूलों की तुलना में अंग्रेज़ी माध्यम के निजी स्कूलों की लोकप्रियता की आम धारणा के दबाव में अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं। जैसा कि यादगीर, कर्नाटक में बसे एक राजस्थानी परिवार में पिता ने बताया, "हाल ही में मेरे एक दोस्त ने पूछा, 'तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं?' जब मैंने जवाब दिया कि वे एक नामी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं तो वे फूले नहीं समाए और मुझे शाबाशी दी कि मैंने उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजकर बढ़िया काम किया है। इस वजह से हमारी बिरादरी में मेरी तारीफ़ हुई और इज़्ज़त भी मिली, इसलिए अपने बच्चों को निजी स्कूल भेजना मेरे लिए इज़्ज़त का मसला है।"

> ज़्यादातर अभिभावक निजी स्कूलों को ऐसी प्रक्रियाओं से जोड़कर देखते थे जो उनकी नज़र में उनके बच्चों के व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट आयाम देते थे, चाहे वह अनुशासन के रूप में हो, या अच्छे आचरण के रूप में (पहनावा और बोलने के तौर-तरीक़े), या ऐसे माहौल में रहने के रूप में हो जहाँ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल पाठ्यपुस्तकों में होता हो या जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती हो।

ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर अभिभावक निजी स्कूलों को ऐसी प्रक्रियाओं से जोड़कर देखते थे जो उनकी नज़र में उनके बच्चों के व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट आयाम देते थे, चाहे वह अनुशासन के रूप में हो, या अच्छे आचरण के रूप में (पहनावा और बोलने के तौर-तरीक़े), या ऐसे माहौल में रहने के रूप में हो जहाँ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल पाठ्यपुस्तकों में होता हो या जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती हो। मिसाल के लिए, ऐसे ही एक अभिभावक ने आस-पड़ोस के सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ इस तरह की राय व्यक्त की, "अंग्रेज़ी की बात तो जाने दीजिए, सरकारी स्कूलों के मास्टर तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। हिन्दी भी कम ही बोली जाती है और वह भी कक्षा में पढ़ाई के समय। और वहाँ ज़्यादातर बच्चे ठीक से ड्रेस यानी स्कूल यूनिफार्म भी नहीं पहनते। अकसर वे बच्चे गाली-गलौज करते हुए भी देखे जाते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि मेरे बच्चों के विकास में इसका कितना ख़राब असर हो सकता है?" (दो बच्चों के पिता, धमतरी)। आर्थिक रूप से सम्पन्न अभिभावकों की नज़र में सरकारी स्कूलों का जो माहौल था उससे एक तरह की अव्यक्त दूरी बनाने की मानसिकता का पता इन स्कूलों के बारे में इस तरह के वाक्यों से चलता है—'गाली-गलौज करने वाले और गन्दे बच्चों से भरे स्कूल', 'अच्छे परिवारों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं जाते', और 'वहाँ के बच्चे न तो क़ायदे का ड्रेस पहनते हैं न ही साफ़-सफ़ाई रखते हैं'।

दूसरी तरफ़, स्कूल की परिपाटियाँ व प्रक्रियाएँ निजी स्कूलों द्वारा अंग्रेज़ी माध्यम होने के दावों से बमुश्किल ही मेल खाती थीं। ज़्यादातर स्कूलों ने यह बताया कि योग्य अंग्रेज़ी शिक्षक या फिर किसी भी विषय के अच्छे शिक्षक मिल पाना कितना कठिन था! कुछ स्कूल दूरदराज़ के इलाक़ों (मसलन, केरल व पश्चिम बंगाल) से शिक्षक नियुक्त करते थे मगर उनको हमेशा यह अनिश्चितता रहती थी कि छुट्टियों में घर जाने के बाद ऐसे शिक्षक वापस लौटेंगे कि नहीं। कई स्कूल आसपास के गाँवों के बेरोज़गार युवकों से काम चला रहे थे। अंग्रेज़ी माध्यम होने के दावे को पूरा कर पाने की इन स्कूलों की असमर्थता इन स्कूलों में सीखने-सिखाने के तौर-तरीक़ों में भी ज़ाहिर थी। जैसा कि यादगीर के एक स्कूल के शिक्षक ने बताया कि उनके लिए बच्चों से अंग्रेज़ी में संवाद कर

पाना बहुत ही कठिन था, ख़ासतौर से पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों के साथ। शिक्षकों ने बताया कि वे उन बच्चों को जिन्हें अंग्रेज़ी समझने में दिक़्क़त आती थी ज़्यादा होमवर्क दे देते थे और उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएँ भी लगाते थे। ऐसा देखने को मिला कि ज़्यादा होमवर्क देने की इस परिपाटी से वे अभिभावक सन्तुष्ट थे जो बच्चों को घर में कोई सहयोग नहीं दे पाते थे। ऐसे अभिभावक बच्चों को ज़्यादा होमवर्क दिए जाने पर ज़ोर डालते थे। लेकिन साथ ही, इन सभी स्कूलों में शिक्षकों की यह आम शिकायत थी कि अभिभावक बच्चों को घर पर समुचित सहयोग नहीं दे पाते थे क्योंकि वे ख़ुद भी अंग्रेज़ी से अनभिज्ञ थे। और यह भी कि कई अभिभावक अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते थे जबकि, इन शिक्षकों की राय में, स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी।

3.2.2 शिक्षकों की योग्यता

स्कूल सर्वे में हमने इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की अकादमिक व पेशेवर योग्यता और अनुभव के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कीं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ तक व्यक्तिगत शिक्षक का सवाल है सरकारी और निजी स्कूलों के बीच हमें भारी अन्तर दिखाई दिए। तालिका 5 में दिखाया गया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में सरकारी स्कूलों के शिक्षक ज़्यादा योग्यता रखते हैं चाहे वह अकादमिक योग्यता हो (44 प्रतिशत निजी शिक्षकों की तुलना में 64 प्रतिशत सरकारी शिक्षकों के पास स्नातकोत्तर उपाधि है), पेशेवर योग्यता हो (अमूमन हर सरकारी शिक्षक के पास कोई-न-कोई पेशेवर योग्यता है, जबकि 29 प्रतिशत निजी शिक्षकों के पास कोई पेशेवर योग्यता नहीं है), या शिक्षण के अनुभव का मामला हो (एक औसत सरकारी शिक्षक के पास 14 साल का अनुभव था जबकि निजी स्कूल शिक्षक के पास यह अनुभव महज़ 5 साल का था)।

तालिका-5 : शिक्षकों की योग्यता–सरकारी बनाम निजी स्कूल

योग्यता	सरकारी स्कूल	निजी स्कूल
अकादमिक योग्यता		
स्नातक से कम	7	15
स्नातक	30	40
स्नातकोत्तर व उससे अधिक	64	44
पेशेवर योग्यता		
शिक्षण का अनुभव (कोई भी)	99	71
1 साल या कम	2	20
1 से 2 साल	2	18
2 से 5 साल	9	35
5 से अधिक	87	27

दूसरी बात यह है कि जब शिक्षकों की योग्यता के बारे में अभिभावकों की राय की तुलना स्कूल के स्तर पर व्यक्तिगत शिक्षकों से की गई तो निजी स्कूलों के मामले में इन दोनों में अन्तर देखने को मिला। शिक्षक की योग्यता को जितना महत्त्व अभिभावक देते हैं, उसमें और स्कूलों में पढ़ा रहे असल शिक्षकों की योग्यता में अन्तर है। वे अभिभावक जो शिक्षक की योग्यता को महत्त्वपूर्ण विशेषता मानते हैं, यानी जिन्होंने इस विशेषता को स्कूल चयन के तीन प्रमुख कारणों में से एक बताया, ऐसे अभिभावकों के बच्चे बेहतर योग्यता वाले शिक्षकों के स्कूल में ही जाते हों यह ज़रूरी नहीं।

जैसा कि तालिका 6 में दिखाया गया है, जहाँ सरकारी स्कूलों के मामले में शिक्षकों की योग्यता को लेकर अभिभावकों की राय और

शिक्षकों की वास्तविक योग्यता, जैसे कि उनकी अकादमिक व पेशेवर योग्यता और अनुभव में कोई अन्तर नहीं है, वहीं बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले अभिभावकों के मामले में इसमें बड़ा अन्तर है। इस विश्लेषण के लिए अभिभावकों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया, एक– वे जो स्कूल चयन में शिक्षक योग्यता को महत्त्वपूर्ण मानते थे और दूसरे, वे जो ऐसा नहीं मानते थे। शिक्षक योग्यता को महत्त्वपूर्ण मानने वाले समूह ने जो स्कूल चुने उनमें इस विशेषता को उतना महत्त्व नहीं देने वाले समूह द्वारा चुने स्कूलों की तुलना में अकादमिक रूप से योग्य शिक्षकों का अनुपात कम था (76 बनाम 87 प्रतिशत), पेशेवर योग्यता वाले शिक्षकों का अनुपात भी कम था (64 बनाम 74 प्रतिशत) और शिक्षण का अनुभव भी कम था (74 महीने बनाम 79 महीने)। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षक योग्यता को स्कूल चयन में उतना महत्त्व नहीं देने वाले अभिभावकों की तुलना में जो अभिभावक शिक्षक योग्यता को महत्त्व देते थे उन्होंने ऐसे स्कूल नहीं चुने जहाँ शिक्षकों की योग्यता वाकई बेहतर हो। यह अनुपात निजी स्कूलों में शिक्षकों की जो औसत योग्यता थी–84 प्रतिशत स्नातक योग्यताधारी और 71 प्रतिशत पेशेवर योग्यताधारी शिक्षक– उससे भी कम थी।

3.3 अभिभावकों की आकाँक्षाएँ और मार्केटिंग के तरीक़े

गुणात्मक साक्षात्कारों से मिले आँकड़ों को देखकर अभिभावकों की राय और स्कूली वास्तविकता के बीच के अन्तर के सम्भावित कारणों को समझा जा सकता है। ज़्यादातर निजी स्कूलों ने यह बताया कि स्कूल का प्रचार कर दाख़िले बढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से दाख़िला अभियान चलाया। यह अभियान शिक्षकों द्वारा गर्मी की छुट्टियों में चलाए जाते थे। इन दाख़िला अभियानों के बारे में बताते हुए एक शिक्षक ने कहा, "हम अपने वर्तमान विद्यार्थियों के अभिभावकों की मदद से गाँवों में जाते हैं। गाँव के सरपंच और दूसरे प्रभावशाली लोगों से सम्पर्क करते हैं। हम स्कूल की गाड़ी से गाँव जाते हैं जिसपर एक लाउडस्पीकर लगा होता है। हम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर उनको स्कूल की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके बाद शिक्षक दो–दो के समूह में बँटकर घर–घर जाते हैं। हम, परिवार में जो बच्चे हैं उनकी जानकारी लेते हैं, फ़ोन नम्बर लेते हैं और उनको स्कूल के बारे में समझाते हैं।" (निजी स्कूल के एक शिक्षक, रायपुर)। घर–घर के इन दौरों में छपे हुए पर्चे बाँटे जाते हैं जिनपर

तालिका-6 : शिक्षक योग्यता–अभिभावकों की राय बनाम स्कूल की वास्तविकता

स्कूल	अभिभावकों की राय	स्नातक शिक्षक (%)	पेशेवर योग्यता प्राप्त शिक्षक (%)	औसत अनुभव (महीनों में)
सरकारी	वे अभिभावक जिनके लिए शिक्षक की योग्यता 'महत्त्वपूर्ण' है	96	98	169
	वे अभिभावक जिनके लिए शिक्षक की योग्यता 'महत्त्वपूर्ण नहीं' है	92	98	164
निजी	वे अभिभावक जिनके लिए शिक्षक की योग्यता 'महत्त्वपूर्ण' है	76	64	74
	वे अभिभावक जिनके लिए शिक्षक की योग्यता 'महत्त्वपूर्ण नहीं' है	87	74	79

स्कूल की मुख्य विशेषताएँ लिखी होती हैं।

स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों से इन दाख़िला अभियानों और पर्चों की विषयवस्तु के बारे में पूछने पर जो लिस्ट मिली उसमें यह सब शामिल था : स्कूल ले जाने व वापस लाने के लिए वाहन सुविधा, स्कूल में सीसी टीवी कैमरा, जल्दी दाख़िला लेने पर छूट, वर्तमान छात्र के भाई-बहन के दाख़िले पर छूट, अंग्रेज़ी लिखने व बोलने की क्षमता का विकास, शिष्टाचार, अच्छी आदतें व विचारों का विकास, कम्प्यूटर शिक्षा, कम्प्यूटर कक्षाएँ, पाठ्येतर गतिविधियाँ, रोज़ाना या हर सप्ताह टेस्ट, बोर्ड इम्तिहानों में पास होने की ऊँची दर। स्कूलों की छवि चमकाने के लिए जिन सरल सन्देशों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें कम फ़ीस पर बेहतर शिक्षा, रोज़मर्रा की बातचीत में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल, स्कूल में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल पर पाबन्दी, और अनुशासन व स्कूल की परम्पराओं के महत्त्व पर ज़ोर देना शामिल हैं।

यह भी देखा गया कि अभिभावक शैक्षणिक गुणवत्ता के इन ज़्यादा प्रकट मगर सन्देहास्पद मापदण्डों को लेकर आश्वस्त थे। इनमें एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड था 'संस्कार' यानी सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के माहौल से जुड़ी धारणाएँ जिनमें स्कूल की ड्रेस, व्यवहार, स्कूल में बातचीत के तौर-तरीक़े आदि शामिल थे। सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के बच्चों के बेहतर व्यवहार की धारणा के बारे में बात करते हुए अभिभावक अकसर यह कहते पाए गए, "और यहाँ के बच्चे ज़्यादा सुसंस्कृत हैं।" अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने वाले अभिभावकों ने ऐसी कई दूसरी प्रभावशाली मान्यताओं के बारे में भी बताया जो उनकी नज़र में 'संस्कार' से जुड़ी हुई थीं। इनमें निजी स्कूलों में अंग्रेज़ी में ही बातचीत करने की अनिवार्यता और उसकी तुलना में सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषा व बोलियों का इस्तेमाल, निजी स्कूलों में अनुशासन और बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी जैसी चीज़ें शामिल थीं। एक अभिभावक जो ऐसे परिवारों में से थे और जो कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूल का ख़र्च उठा सकते थे लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का फैसला किया था, उन्होंने बड़े सटीक शब्दों में अभिभावकों द्वारा सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों के चयन के बारे में कहा कि, "सरकारी स्कूल आज भी अच्छे हैं। लेकिन लोग आमतौर पर यह सोचते हैं कि ग़रीब लोगों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए दूसरे लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजते और उनकी बजाय निजी स्कूल चुनते हैं।" (दो बच्चों के पिता, टोंक)।

4. निष्कर्ष

यह अध्ययन अभिभावकों द्वारा स्कूल चयन के सन्दर्भ में अनेक ज़रूरी मसलों और बहसों को उभारता है। कुल मिलाकर यह स्कूल चयन और वाउचर जैसी बाज़ार-आधारित नीतिगत पहलों को ग़ैर-आलोचनात्मक तरीक़े से अपनाने के प्रति आगाह करता है।

इस अध्ययन से निकले नतीजे इस सरलीकृत धारणा को चुनौती देते हैं कि अभिभावकों का चयन समुचित जानकारी और स्कूलों के मूल्यांकन के महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक मापदण्डों पर आधारित होता है। अनेक कारकों की भूमिका और चयन करने में व्यावहारिक व शैक्षणिक तत्त्वों के प्रभाव से यह पता चलता है कि स्कूल चयन अपने-आप में एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसे अभिभावक जो निजी स्कूल का ख़र्च वहन कर सकते हैं, आस-पड़ोस के निजी स्कूलों के बारे में उनकी दुविधाएँ और बदलती राय से भी स्कूल चयन की जटिलता रेखांकित होती है।

यही नहीं, इस अध्ययन में स्कूलों की विशेषताओं के बारे में अभिभावकों की राय और उन विशेषताओं के मामले में स्कूल की वास्तविकता के बीच ज़्यादातर मामलों में ख़ासा अन्तर दिखाई देता है। क्या अभिभावकों को गुमराह किया जाता है? या फिर ऐसा है कि निजी स्कूलों की विशेषताओं के बारे में उनकी धारणाएँ

ग़लत हैं। हमारे ज़मीनी अध्ययन से पता चलता है कि यह दोनों बातें सच हैं। एक तरफ़ हमें देखने को मिलता है कि अपने बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले अभिभावकों में सांस्कृतिक पूँजी की आकांक्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ़, निजी स्कूल बाज़ार-आधारित तरीक़ों से इन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रलोभन देते हैं। स्कूल चयन के समय अभिभावकों का ज़्यादातर ज़ोर ग़ैर-शैक्षणिक मापदण्डों पर होता है जो कि आसानी से दिख जाता है। इसे ही अभिभावक सीखने-सिखाने की गुणवत्ता का पैमाना मान लेते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे मापदण्ड जो शैक्षणिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन उतने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि- शिक्षकों की योग्यता, उनपर पर्दा पड़ जाता है।

हमारे अध्ययन से यह रेखांकित होता है कि स्कूलों, ख़ासतौर पर कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूलों की शैक्षणिक प्रक्रियाओं व उनकी वास्तविक स्थिति और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों की राय के बीच सूचनाओं की जो असंगति है उसके स्वरूप को समझने की ज़रूरत है। अभिभावकों द्वारा स्कूल चयन को लेकर और बारीक़ समझ विकसित करने की ज़रूरत है- ख़ासतौर से निर्णय लेने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में- जिसमें अभिभावकों की सीमाओं, उनकी प्राथमिकताओं, और उनको उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित तमाम कारकों की तुलना और संश्लेषण शामिल होता है।

सन्दर्भ

कडगर, एवं क्विन, ई (2012), *रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट स्कूलिंग एण्ड अचीवमेण्ट्स : रिज़ल्ट्स फ्रॉम रूरल एण्ड अर्बन इण्डिया,* इकोनॉमिक्स ऑफ़ एजुकेशन रिव्यू, 31: 376-390

धनकर, आर (2002), *सीकिंग क्वालिटी एजुकेशन : इन द एरेना ऑफ़ फ़न एण्ड रेटॉरिक, सीकिंग क्वालिटी एजुकेशन फ़ॉर ऑल : एक्सपीरिएंसेज़ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम* (पृ. 1-29)। दिल्ली : द यूरोपियन कमीशन।

हार्मा, जे (2011), *लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूलिंग इन इण्डिया : इज़ इट प्रो पूअर एण्ड इक्विटेबल ?* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 31(4), 350-356

हार्मा, जे (2010), *स्कूल च्वॉइस फ़ॉर द पूअर ? द लिमिट्स ऑफ़ मार्केटाइजेशन ऑफ़ प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल इण्डिया,* CREATE शोध पत्र, पाथवेज़ टू एक्सेस सीरीज़ 23, यूनिवर्सिटी ऑफ़ ससेक्स, ब्राइटन।

हिल, ई, सैमसन, एम व दासगुप्ता, एस (2011), *एक्सपैण्डिंग द स्कूल मार्केट इन इण्डिया : पैरेण्टल च्वॉइस एण्ड द रिप्रोडक्शन ऑफ़ सोशल इनइक्वालिटी,* इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीक्ली, 46(35): 99-105

करोपाडी, डी डी (2014), *डज़ स्कूल च्वॉइस हेल्प रूरल चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवाण्टेजेड सेक्शंस ?* इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीक्ली, 49(51), 46-53

कौर, एस (2017), *क्वालिटी ऑफ़ रूरल एजुकेशन एट एलिमेण्ट्री लेवल : एविडेंस फ्रॉम पंजाब,* इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीक्ली, 52(5): 58-63

मुरलीधरन, के और सुंदररामन, वी (2015), *द एग्रेगेट एफ़ेक्ट ऑफ़ स्कूल च्वॉइस : एविडेंस फ्रॉम ए टू-स्टेज एक्सपेरिमेण्ट इन इण्डिया,* द क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, 130(3), 1011-1066

ओईसीडी (2016), PISA 2015 परिणाम (भाग II) : *पॉलिसीज़ एण्ड प्रैक्टिसेस फ़ॉर सक्सेसफुल स्कूल्स,* पीसा, ओईसीडी पब्लिशिंग, पेरिस।

राविच, डी (2013), रेन ऑफ़ टेरर : *द होक्स ऑफ़ द प्राइवेटाइज़ेशन मूवमेण्ट एण्ड द डेंजर टू अमेरिकास स्कूल्स,* विंटेज।

राविच, डी (2010), *द डेथ एण्ड लाइफ़ ऑफ़ द ग्रेट अमेरिकन स्कूल सिस्टम : हाउ टेस्टिंग एण्ड च्वॉइस आर अण्डरमाइनिंग एजुकेशन।* बेसिक बुक्स।

शाह, पी जे और मिरांडा, एल (2013), *प्राइवेट इनिशिएटिव इन इण्डियाज़ एजुकेशन मिरेकल।* इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2012 :

प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन (पृ. 74-83), नई दिल्ली : राउटलेज।

श्रीवास्तव, पी (2007), नीदर वॉएस नॉर लॉएल्टी : *स्कूल च्वॉएस एण्ड द लो-फी प्राइवेट सेक्टर इन इण्डिया, ओकेज़नल पेपर, 134, नेशनल सेण्टर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ प्राइवेटाइज़ेशन इन एजुकेशन,* टीचर्स कॉलेज, न्यूयॉर्क : कोलम्बिया यूनिवर्सिटी।

स्ट्यूली, एन, वेनम, यू और वुडहेड, एम (2011), *इंक्रीज़िंग च्वॉएस ऑर इनइक्वालिटी ? पाथवेज़ थ्रू अर्ली एजुकेशन इन आन्ध्रप्रदेश, इण्डिया। वर्किंग पेपर नं. 58, स्टडीज़ इन अर्ली चाइल्डहुड ट्रांज़ीशन्स।* द हेग, द नीदरलैण्ड्स : बर्नार्ड वॉन लीर फाउण्डेशन।विंच, सी (1996), क्वालिटी एण्ड एजुकेशन, ऑक्सफ़ोर्ड : वाइली-ब्लैकवेल।

विश्व बैंक (2018), *वर्ल्ड डेवलपमेण्ट रिपोर्ट 2018, लर्निंग टू रियलाइज़ एजुकेशंस प्रॉमिस।*वाशिंगटन, डीसी : वर्ल्ड बैंक।